

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
कानपुर मण्डल,  
कानपुर।

विषय:-

गैल इण्डिया लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक-1979/14-1, दिनांक-13.10.2017 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया का पत्रांक-1209/14-1, दिनांक 07.11.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में विभिन्न वन प्रभागों में ऑन-लाइन एवं हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

**झांसी वन प्रभाग:-**

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
3. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
4. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न है। क्षेत्रफल में संशोधन के उपरान्त संशोधित एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
5. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
6. वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें तथा ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
7. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
8. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
9. हार्ड कापी भाग-1 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल निकटतम मान में अंकित किया गया है। अतः प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार एक समान अंकित करें।

**उरई वन प्रभाग:-**

1. लीज अवधि प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।
2. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के Geo Referenced Digital Map की kml shp file की एक अतिरिक्त सी०डी० संलग्न करें।
3. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु शीर्षक व Legend अंकित नहीं है।
4. वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
6. हार्ड कापी भाग-1 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन के अनुसार अंकित नहीं किया गया है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
7. ऑन लाइन भाग-2, District Profile में No of Approved Cases शून्य फीड किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है।



### उन्नाव वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
2. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष लीज अवधि वचन बद्धता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
3. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
4. वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. हार्डकापी भाग-2 में वन की कानूनी स्थिति संरक्षित अंकित है, जबकि ऑनलाइन में आरक्षित अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः उचित विवरण अंकित करें।
6. ऑनलाइन भाग-2, क्रमांक-13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संबंधी सूचना यथा- CA का प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, Toposheet ऑनलाइन से डिलीट करें क्योंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना समेकित रूप से उरई वन प्रभाग में प्रस्तावित है।

### रायबरेली वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल तथा दिनांक भी अंकित करें।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
3. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष लीज अवधि वचन बद्धता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
4. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
5. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
6. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु चिन्हित नहीं है।
7. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
8. हार्ड कापी भाग-1 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन के अनुसार नहीं है।
9. हार्ड कापी भाग-2 एवं ऑनलाइन भाग-2 में वनभूमि की कानूनी स्थिति भिन्न-भिन्न अंकित है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।
10. ऑन लाइन भाग-2, District Profile व हार्ड कापी भाग-2, District Profile में विवरण भिन्न-भिन्न अंकित किया गया है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।

### प्रतापगढ़ वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल तथा दिनांक भी अंकित करें।
2. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
3. वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।
5. हार्ड कापी भाग-1 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल ऑनलाइन के अनुसार नहीं है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।

### इलाहाबाद वन प्रभाग:-


1. लीज अवधि प्रमाण पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।
2. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न है किन्तु गणना त्रुटिपूर्ण आगणित की गई है।
3. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
4. ऑनलाइन पार्ट-2 के क्रमांक-2 में वनभूमि का क्षेत्रफल 0.013965 फीड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।

प्रयोक्ता अभिकरण:-

1. परियोजना में प्रभावित सभी 09 वन प्रभागों में, प्रस्तावित वनभूमि के Geo Refferenced Digital Map की के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 तीन प्रतियों में संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में कुछ समान प्रमाण-पत्रों की पुनरावृत्ति हुई है। अतः अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों को प्रस्ताव से पृथक कर पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में पुराने लगे ऑनलाइन पार्ट-1 व पार्ट-2 को पृथक कर संशोधित पार्ट-1 व पार्ट-2 केवल एक प्रति में ही संलग्न करें।
4. ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रमाण-पत्रों में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल एक समान ही अंकित किये जाये।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।


भवदीय

  
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1380 / FP/UP/Other/23971/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद एवं झांसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, झांसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद।
4. मुख्य प्रबन्धक (निर्माण), गेल इण्डिया लि०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

  
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।